भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1293

उत्तर देने की तारीख-11/02/2026

उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव को समाप्त करने के लिए यूजीसी के नए नियम

1293 **श्रीमती राजाथी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम, 2026 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) वर्ष 2012 और वर्ष 2026 के विनियमों में क्या अंतर है;

(ग) वर्ष 2012 के विनियमों के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है और कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों के क्या कारण रहे हैं;

(घ) समान अवसर केंद्रों (ईओसी) के उद्देश्य क्या हैं और नए नियमों की अधिसूचना के बाद से ऐसे कितने ईओसी स्थापित किए गए हैं; और

(ङ) नियमों का पालन नहीं करने पर दंड का क्या प्रावधान है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ड): उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दायरे में आने वाले सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने समान अवसर प्रकोष्ठों का गठन किया है।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम, 2026, दिनांक 13.01.2026 को अधिसूचित किए गए हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2026 के आदेश के माध्यम से स्थगित रखे गए हैं। इसलिए, मामला विचाराधीन है।

*****